अध्याय-7 : संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन

7. 1 प्रस्तावना

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 28 राज्यों (नागालैंड को छोड़कर) के 173 जिलों में ₹1,223.76 करोड़ की लागत पर निर्मित 528 सड़कों का निष्पादन एजेंसियों के स्टाफ की उपस्थिति में लेखापरीक्षा दलों द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक चयनित जिले में 2010-15 के दौरान पूर्ण की गई सड़कों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था। सत्यापन में, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य का निष्पादन, अधूरे छोड़े गए कार्य, लक्षित बस्तियों की संयोजकता, सड़क का रखरखाव, नागरिक सूचना पटलों का प्रतिष्ठापन, पीएमजीएसवाई का प्रतीक चिन्ह व फलदार वृक्षों का रोपण इत्यादि शामिल था।

7.2 संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के निष्कर्षों का सारांश

- 166 सड़क निर्माणकार्य (31.44 प्रतिशत) डीपीआर में दी गई लम्बाई के अनुसार निर्मित नहीं किए गए थे जिसमें 112 मामले ऐसे शामिल थे जिनमें अंतर 100 मीटर से अधिक था।
- 20 बस्तियों को बहु-संयोजी उपलब्ध कराई गई थी।
- 15 सड़क निर्माणकार्यों को बीच में छोड़ दिया गया था।
- डीपीआर के विनिर्देशन का 59 सड़क निर्माणकार्यों में अनुपालन नहीं किया गया था तथा इनमें से 44 मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
- 46 बस्तियों को बारहमासी सडकें प्रदान नही की गयी थी ।
- 179 सड़कों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
- 21 सड़क निर्माणकार्यों में बोर्ड/प्रतीक चिन्ह प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।
- 485 सड़क निर्माणकार्यों (91.85 प्रतिशत) में फलदार वृक्ष नहीं लगाए गए थे।
- भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित 71 सड़क निर्माणकार्यों में से, 13 सड़क निर्माणकार्यों में भूमि अधिप्राप्त नहीं की गई थी।

- 40 सड़कें सेतुमार्ग, पुलिया व पुलों के निर्माण के अभाव में ट्रैफिक के लिए चालू स्थिति में नहीं थीं।
- 77 सड़क निर्माणकार्यों में ठेके त्रुटियों का सुधार किए बिना समाप्त हो गए थे।

सत्यापन के कुछ विशिष्ट मामलों का अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.3 बस्तियों के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करने में अनियमितताएं

आठ राज्यों {**आन्ध्रप्रदेश** (एक), **असम** (नौ), **बिहार** (पांच), **झारखण्ड** (छः), **मिजोरम** (दो), **राजस्थान** (एक), **तमिलनाडु** (एक) तथा **उत्तराखण्ड** (आठ)} में अपात्र जनसंख्या आकार के प्रति 33 अपात्र बस्तियों को संयोजकता, पहले ही संयोजित की गई बस्तियों, बस्तियों को सीएनडब्ल्यू का भाग न बनाना आदि पाया गया था। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-7.1** में दिए गए हैं।

7.4 लक्षित बस्तियों का संयोजित न किया जाना

पांच राज्यों **(असम**, **बिहार**, **छत्तीसगढ़**, **झारखंड तथा ओडिशा)** में सड़कों के प्रत्यक्ष सत्यापन ने दर्शाया कि लक्षित बस्तियों की सिधाई में रूकावट, मार्गों की खराब स्थिति, पुलों का निर्माण न होना, लक्षित बस्तियों में सड़कों का निर्माण न होने के कारण लक्षित बस्तियों को संयोजित नहीं किया गया था। राज्यवार विवरण **अनुबंध-7.2** में दिए गए हैं। कुछ नमूना फोटोचित्र नीचे दिए गए हैं:

बस्ती पर संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था क्योंकि सड़क, रेल पथ के दोनों किनारों पर सीमेंट कंक्रीट पिल्लरों द्वारा अवरूद्ध पड़ी थी। (बिहार, भागलपुर जिले में पैकेज सं. बी.आर. 06 आर- 148 में)

सड़क को अंतिम छोर तक निर्मित नहीं किया गया था। (चांचाकी से के.ए.रोड असम, एचपीआईयू नागांव रोड़ सर्कल, नागांव - ए.एस. 19-246)

कुमहारदाव बस्ती में लम्बे चौड़े पुल का निर्माण न होने के कारण संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था। (छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला में)

जलनिकासी मार्ग निर्माणकार्य का निष्पादन नहीं किया गया (बिलासपुर जिला - छत्तीसगढ़ टी 02 कुली कुकड़ा-बासाह सड़क निर्माण कार्य (पैकेज सी.जी. 0268)

देवघर जिला-झारखंड में राजासार में संयोजन उपलब्ध कराए बिना राजसर से रॉयडिह तक की सड़क पूर्ण की गई थी तथा वह इस सड़क के अंतिम छोर से लगभग 8 कि.मी. दूर थी।

सड़क के अनिर्मित भाग (500 मी. से अधिक) के कारण बस्ती असंयोजित रही (एल 046 से जाला में, ब्लॉक गरहवा हजारीबाग जिला, झारखंड)

7.5 सड़क निर्माण कार्यों का अपूर्ण/घटिया निर्माण

आठ राज्यों **(अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मणिपुर, सिक्किम** तथा **उत्तराखण्ड)** में सड़क निर्माणकार्य या तो पूर्ण नहीं किए गए या सड़कें बिटुमेनी कार्य की घटिया गुणवत्ता, गडढ़ों, पुल का कार्य अधूरा छोड़ने, दुर्गप्राचीर पुल का पूर्ण न होने, स्तर-I निर्माण कार्य के अंतर्गत पर्वत के त्रुटिपूर्ण कटाव के कारण खराब

स्थिति में थी। आगे, त्रुटिपूर्ण निर्माणकार्य निष्पादित किए गए थे जैसाकि निम्न छायाचित्रों में दर्शाया गया है तथा राज्य वार विवरण **अनुबंध-7.3** में दिए गए हैं।

असम के सिल्चर जिला में पैकेज सं. ए.एस. 13-59 के अंतर्गत निर्माणकार्य के दौरान सड़क पूरी तरह से कीचड़ तथा बड़े-बड़े मिट्टी के गडढे से भरी हुई पाई गई।

झारखंड के सिमडेगा जिला, में झीमारी की ओर से होते हुए मुख्य सड़क कुटमाकछार से मुरामबटौली तक सड़क एल 059-आर.ई.ओ. के रास्ते में दुर्गम चट्टान तथा वन भूमि का बिछा होना

उत्तराखंड के पौड़ी जिला, में नौगांव से भूखंडी सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई थी।

उत्तराखण्ड के पौड़ी जिला, के कई स्थानों पर चोपड़ा से नलाई का सड़क निर्माणकार्य में बिटुमेनी कार्य की गुणवत्ता बहुत घटिया पाई गई थी।

7.6 निर्माण कार्यों के निष्पादन में कमियां

छः राज्यों **(बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, तमिलनाडु** तथा **त्रिपुरा)** में पूर्ण किए गए निर्माणकार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वर्तमान पीसीसी सड़क के ऊपर सड़क के निर्माण, आरंभ करने का स्थान सीएनडब्ल्यू के अनुसार न होने,

लघु पुलों के स्थान पर पुलियों का प्रावधान, सुरक्षा दीवार/किनारे की नालियों का निर्माण न किया जाना, वांछित संख्या में पुलियों का प्रावधान न करने के उदाहरण पाए गए थे। राज्यवार जॉच-परिणाम **अनुबंध-7.4** में दिए गए हैं। कुछ नमूना छायाचित्र नीचे दिए गए हैं:

झारखण्ड के देवघर जिला में वैद्यनाथपुर से बहादुरपुर में साइड नाली का निर्माण न किया जाना

उत्तराखण्ड के नैनीताल जिला के ओरसा-पिनरो में सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता

जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिला, में गलक से अपन राजवलटा तक सड़क में पर्याप्त संख्या में आर-पार जलनिकासी की व्यवस्था का निर्माण न किया जाना

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, में बिना खडंजे तथा प्लस्तर न की गई रूमहर-लाम सड़क

7.7 घटिया/गैर-अनुरक्षण के कारण क्षतिग्रस्त सड़क निर्माणकार्य

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तथा पूर्ण की गई सड़कों के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने दर्शाया कि सड़कों अनुरक्षण ठीक से नहीं किया गया था तथा वे शोचनीय स्थिति में थी। इस कार्य के दौरान लिए गए फोटोग्राफ सड़कों की घटिया स्थिति की पुष्टि करते हैं जैसाकि नीचे दिया गया है:

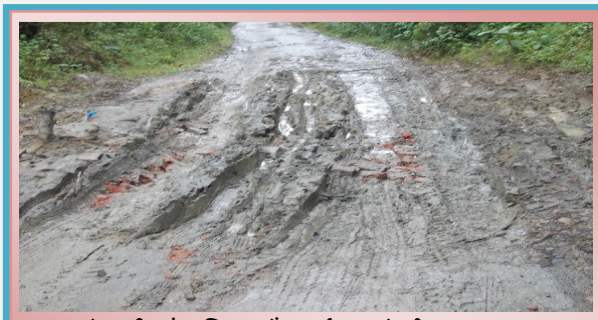

असम के करीमगंज जिला, में 'बराईग्राम से पीचरपार तक' ए.एस. 13-36 सड़क का अनुरक्षण न होने के कारण शोचनीय स्थिति

गुजरात के दाहोड जिला, में 'कामबोई पटेल फेलिया' सड़क के चेनेज 1/800 पर पानी को सुरक्षित रूप से आने जाने के लिए पाइपों के निर्माण न करने के कारण पुलिया का निर्गम भाग बह गया

कर्नाटक के कालाबुर्गी जिला, में अफजलपुर तालुक में 'के.एन. 15-67 टी-02 (बैंकालगा क्रास) से महाराष्ट्र सीमा' तक सड़क की शोचनीय स्थिति

झारखंड के सिमडेगा जिला, में पंडरीपानी जलडेगा से पंडरीपानी तक सड़क की क्षतिग्रस्त पुलियां

ओडिशा के धनकनाल जिला में सड़क का अनुरक्षण न होने के कारण मराठापुर-जमुनाकोटी सड़क पर गडढे हो गए हैं।

उत्तराखण्ड के पौड़ी जिला में विभिन्न स्थानों पर मेलसेन से चोपडा तक सड़क का बिटुमेनी कार्य क्षतिग्रस्त पाया गया था।

निष्कर्ष

पूर्ण की गई सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने बस्तियों को बहु-संयोजकता, बीच में निर्माण कार्य छोड़ने, लक्ष्यित बस्तियों को संयुक्त न करने, खराब/अपूर्ण निर्माण, निर्माण कार्यों के निष्पादन में कमियां, सेतुक, पुलियों, पुलों आदि के गैर-निर्माण के कारण सड़कों के गैर-क्रियात्मकता तथा सड़कों का गैर-अनुरक्षण के अवसर पाए जो लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं जैसा अध्याय-4 में चर्चा की गई है।